

वित्त विभाग द्वारा  
परामर्शित ।

राजस्व पर्षद, बिहार ।

संख्या-3/7-4/96-519(3)

①

प्रेषक,



सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना ।

सेवा में,

★ 29 SEP 2006 विभागाध्यक्ष ।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

सभी जिलाधिकारी ।

पटना, दिनांक : 24-5-2006

विषय :- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कोटियों के दैनिक पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि ।

महाशय,

निवेदानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्षद ने सम्यक विचारोपरान्त पत्रांक-7/1/3 दिनांक-2.8.2001 द्वारा निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक की दरों को निम्न प्रकार से पुनरोद्दिष्ट किया है :-

क्रमांक	श्रेणी	पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक	पुनरोद्दिष्ट पारिश्रमिक
1	2	3	4
1	लिपिक/टंकक/टंकक लिपिक	69=00	<u>81=00</u>
2	या लक	75=00	<u>87=00</u>
3	अनुसेवक	61=00	<u>72=00</u>

2- ये दरे इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से प्रभावो होगी ।

3- जहाँ भी विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति से एक मास या अधिक अवधि के लिए कार्य लिया गया हो वहाँ दैनिक मजदूरी को दरों का मासिक मजदूरी को दरों में रूपान्तरण दैनिक दर को 26 (उब्बीस) गुणा कर के किया जायेगा और तदनुसार ही भुगतान किया जायेगा ।

